समक्ष- माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प सागर

बाँकेबिहारी तनय कन्हैयालाल ब्राहमण

निवासी ग्राम महेवा तह0 गुनौर जिला पन्ना ...आवेदक

// विरूद्ध//

§1§ घनश्याम प्रसाद तनय बल्देवप्रसाद ब्राहमण

§2§ सुदर्शन प्रसाद तनय बल्देवप्रसाद ब्राहमण

निवासी ग्राम महेवा तह0 गुनौर जिला पन्ना .... अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं0 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अतिरिक्त कमिश्नर सागर संभाग सागर के अपील प्र0क्0 792/अ-6 वर्ष 2001-2002 में पारित आदेश दिनांक 18/5/2006 से दुखित होकर यह निगरानी निम्न प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि, प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक ने ग्राम चिकलहाई स्थित भूमि ख.नं. 841, 842, 1044, 1045, 1057 रकबा कृमशः 0.8, 1.58, 0.40, 0.72, 005 हे0 भूमि पर आवेदकका कब्जा होने के आधार पर चालू वर्ष में कालम नं. 12 में कब्जाप्रमाणित करने कराने के उद्येश्य से धारा 115, 116 के अंतर्गत आवेदनपत्र नायब तहसीलदार अमानगंज के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर आवेदक का वर्ष 2001-2002 में एक वर्ष का कब्जादर्ज किए जाने का विधिवत् आदेश पारित किया गया । जिसके विरूद्ध प्रतिअपीलार्थी/अनावेदक ने अपील अनुविभागीय अधिकारी गुनौर के समक्ष प्रस्तुत की जो इस आधार पर मान्य की गई कि नई प्रविष्टि नहीं की जा सकती जिसके विरूद्ध आवेदकने द्वितीय अपील श्रीमान् अपर आयुक्त सागर के समक्ष प्रस्तुत की, जो अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पुष्टि में निरस्त कर

R 26-II/07 पन्ना

बाके बिहारी / घनश्याम

27/1/16	आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता लगभग 17 पेशियों से अनुपस्थित हैं। आवेदक एवं आवेदक अधिवक्ता को समय समय पर आवाज लगवाई गई, कोई उपस्थित नहीं। अतः आवेदक अधिवक्ता के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। सदस्य	

[कृ. प. उ.